

परिचय

कार्य योजना 2020-21 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की दृष्टि और लक्ष्य को आगे ले जाती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की दृष्टि, प्रगतिशील अप्रत्यक्ष कर नीतियों और प्रक्रियाओं को बनाने और लागू करने से भारत की सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करना है। यह राष्ट्र के मोर्चे की रक्षा करते हुए हितधारक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का लक्ष्य एक मजबूत अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का निर्माण करना है जो व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देगा और सीमाओं के पार व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा।

2. इसका उद्देश्य, विश्वसनीय आधार द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए एक सरल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-चालित तरीके से सेवाएं प्रदान करना है, जो ईमानदार करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के व्यापक आधार के अनुरूप एक वार्षिक कार्य योजना है जो पूरे वर्ष के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है, और यह प्रभावी व्यवस्था के माध्यम से, कर प्रशासन का एक प्रभावी उपकरण है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना इस दिशा में एक कदम है।

3. वार्षिक कार्य योजना यह मानती है कि यदि कर संग्रह के मूल कार्य से उपज में सुधार करना है, तो विभिन्न संबद्ध प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को लागू करने वाली कमियों की समय-समय पर नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए। प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक से अपेक्षा की जाती है कि वे आयुक्तालयों/निदेशालयों के कार्य की नियमित रूप से जांच करें और निर्धारित तिथि का पालन सुनिश्चित करें।

4. वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना तीन वित्तीय वर्षों के अंतराल के पश्चात जारी की जा रही है। यह कार्य योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार माल और सेवा कर से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। तदनुसार, इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है- भाग क में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की विरासत के मुद्दों के साथ जुड़े कार्यों का हिस्सा है, भाग ख सीमा शुल्क के मुद्दों से संबंधित है वहीं भाग ग माल और सेवा कर के मुद्दों से संबंधित है। महामारी के कारण अभूतपूर्व स्थिति के चलते एक तिमाही तक कार्य योजना पहले ही विलंबित हो गई है इसलिए समय सीमाएं प्रस्तावित की गई हैं। कार्य योजना 2020-21 में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इन्हें भागों में विभाजित किया गया है।

भाग-क

1 केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर

क-1 लंबित जांचे

अ केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लंबित जांच मामलों का समयानुसार (01.04.2020 तक)
ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	संख्या	निहित राजस्व (करोड़ में)	समय अनुसार ब्यौरा (संख्या)			
			6 माह से कम	6-12 माह	1-2 वर्ष	2 वर्षों से अधिक

कें० उ० शुल्क	605	1544.28	127	201	125	152
सेवा कर	3927	5738.64	1043	577	997	1310

यह देखा जा सकता है कि 605 मामले केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लंबित हैं, जबकि 3927 मामले सेवा कर के लंबित हैं, केंद्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 (पेट्रोलियम और तंबाकू उत्पादों के अलावा) और वित्त अधिनियम 1994 के निरस्त होने के लगभग तीन साल बाद भी इन मामलों से संबंधित राजस्व की मात्रा बहुत बड़ी है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जांच को एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखना एक गंभीर मामला है, जिसकी आयुक्त स्तर पर कड़ी जांच की आवश्यकता है।

कार्य योजना

- (i) 31.12.2020 तक एक वर्ष से अधिक सभी मामलों (31.03.2020 तक) की लंबित जाँच को अंतिम रूप देना।
- (ii) 31.12.2020 तक छह महीने से अधिक सभी मामलों (31.03.2020 तक) की लंबित जाँच को अंतिम रूप देना।
- (iii) क्षेत्रीय प्रमुख मासिक आधार पर प्रगति की निगरानी करेंगे।

कार्रवाई कर्ता:- डी.जी.जी.आई, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तालयों के मुनाफाखोरी रोधी विंग।

क-2 अधिनिर्णयन

01.04.2020 तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर मामलों की अधिनिर्णयन हेतु लंबिता निम्नानुसार हैं:-

(अ) केंद्रीय उत्पाद शुल्क

(करोड़ में)

क्रम सं०	अधिनिर्णयन प्राधिकारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम	लंबिता संख्या		समय अनुसार लंबिता (संख्या)			
		सं०	राशि	3 माह से कम	3-6 माह से कम	6-12 माह से कम	1 वर्ष से ऊपर
1	आयुक्त	1917	21802.64	560	518	336	503
2	अपर/संयुक्त आयुक्त	1627	1201.03	534	312	393	388
3	उपा/सहा आयुक्त	5271	729.01	2370	1067	1063	771
4	अधीक्षक	425	10.84	111	104	135	75

	कुल	9240	23743.52	3575	2001	1927	1737
--	-----	------	----------	------	------	------	------

(ब) सेवा कर

(करोड़ में)

क्रम सं०	अधिनिर्णयन प्राधिकारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम	लंबिता		समय अनुसार लंबिता (संख्या)			
		सं०	राशि	3 माह से कम	3-6 माह से कम	6-12 माह से कम	1 वर्ष से ऊपर
1	आयुक्त	5437	143172.82	860	651	1206	2720
2	अपर/संयुक्त आयुक्त	6514	6813.22	1281	1229	1522	2482
3	उपा/सहा आयुक्त	39881	4364.48	15086	9592	8279	6924
4	अधीक्षक	3409	42.58	709	926	1362	412
	कुल	55241	1,54,393.11	17936	12398	12369	12538

केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कुल 9240 मामलों और सेवा कर में 55,241 स्टैगरिंग मामलों अधिनिर्णयन हेतु लंबित हैं। इनमें से ज्यादातर मामले विरासत के मामले हैं और इन्हें तत्काल निपटाने की आवश्यकता है।

कार्य योजना

- (i) क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्तों/मुख्य आयुक्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 01.04.2020 तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क में लंबित अधिनिर्णयन के सभी मामलों, 31.03.2020 तक बिना किसी असफलता के निपट जाने चाहिए।
- (ii) हालाँकि, मिशन मोड में क्षेत्रीय प्रधान प्रमुख/मुख्य आयुक्त की देखरेख में एक ईमानदार प्रयास करने की आवश्यकता है, इस संबंध में, 31.03.2021 तक सेवा कर में अधिनिर्णयन लंबित सभी 55,241 मामलों का निपटान करने का प्रयास करने और निपटाने की ज़रूरत है, यदि आवश्यकता हो, तो क्षेत्रीय प्रधान प्रमुख/मुख्य आयुक्त पुनर्मूल्यांकन का सहारा ले सकते हैं, जैसा कि पूर्व में अधिसूचना संख्या 14/2017-कें० उ दिनांक 09.06.2017 में किया गया है।
- (iii) तदनुसार, यदि वे मामलों को फिर से सौंपने का इरादा रखते हैं, तो उपयुक्त प्रस्ताव को तुरंत अधिसूचना जारी करने के लिए सदस्य (विधि) को अग्रेषित किया जाना चाहिए।
- (iv) एस०वी०एल०डी०आर०एस योजना के तहत निपटाए गए सभी मामलों को कारण बताओ नोटिस की लंबिता के साथ स्वीकार करना चाहिए और सूची को 30.09.120 तक अद्यतन किया जाना चाहिए।

क-3 कॉल बुक

अ केंद्रीय उत्पाद शुल्क (01/04/2020 तक लंबिता) (करोड़ में)

अधिनिर्णयन प्राधिकारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम	लंबिता संख्या	राशि	समय अनुसार लंबिता (संख्या)				
			3 माह से कम	3-6 माह से कम	6-12 माह से कम	1-2 वर्ष से ऊपर	2 वर्ष से ऊपर
आयुक्त	6165	57589.92	657	178	331	1050	3949
अपर/संयुक्त आयुक्त	3446	2207.91	191	199	192	413	2451
उपा/सहा आयुक्त	10946	1652.67	736	745	1024	1728	6713
अधीक्षक	819	18.21	52	76	87	224	380
कुल	21376	61468.71	1636	1198	1634	3415	13493

(स्रोत डी०पी०ई-सी०ई-3ए, मार्च, 2020)

(कॉल बुक मामलों की लंबिता का कारण) (रु करोड़ में)

कॉल बुक मामलों की लंबिता का कारण।	लंबित मामलों की संख्या	निहित राशि	समय अनुसार लंबिता (संख्या)				
			3 माह से कम	3-6 माह से कम	6-12 माह से कम	1-2 वर्ष से ऊपर	2 वर्ष से ऊपर
ऐसे मामलें जिनमें विभाग अपील हेतु उपयुक्त प्राधिकारी के पास गया हो।	18974	52222.83	1105	1146	1462	3189	12072
उन मामलों की सं० जहां सर० न्याय/उच्च न्याय/न्यायाधिकरण द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई।	1541	5289.23	509	47	125	226	634
ऐसे मामलें, जिनमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियों का विरोध किया जाता है।	552	1915.65	20	7	19	77	429
ऐसे मामलें जिन्हें कॉल बुक अन्य में रखने हेतु	288	1995.92	3	0	8	12	265

बोर्ड में आदेश दिया है।							
ऐसे मामलों जहां पार्टियों ने समझौता आयोग में आवेदन दायर किए थे, जो लंबित है।	21	45.07	4	1	2	4	10
कुल	21376	61468.71	1641	1201	1616	3508	13410

(स्रोत डी०पी०ई०सी०ई०-3ए, मार्च, 2020)

(ब) सेवा कर

अ (01/04/2020 तक लंबित) (रु० करोड़ में)

अधिनिर्णयन प्राधिकारी	लंबित संख्या	सेवा कर की निहित राशि	समय अनुसार लंबित				
			3 माह से कम	3-6 माह से कम	6-12 माह से कम	1-2 वर्ष से ऊपर	2 वर्ष से ऊपर
आयुक्त	3208	69018.58	345	121	280	503	1959
अपर/संयुक्त आयुक्त	2565	1748.99	266	130	272	377	1520
उपा/सहा आयुक्त	9969	948.41	849	706	1507	1495	5412
अधीक्षक	651	6.60	11	37	18	354	231
कुल	16393	71722.58	1471	994	2077	2729	9122

(स्रोत डी०पी०ई०सी०ई०-3ए, मार्च, 2020)

(कॉल बुक मामलों की लंबित का कारण)

(करोड़ में)

कॉल बुक मामलों की लंबित का कारण	लंबित मामलों की संख्या	निहित राशि	समय अनुसार लंबित का व्यौरा				
			3 माह से कम	3-6 माह से कम	6-12 माह से कम	1-2 वर्ष से ऊपर	2 वर्ष से ऊपर
ऐसे मामले जिनमें विभाग अपील हेतु उपयुक्त	14194	66284.54	1296	873	1764	2370	7891

प्राधिकारी के पास गया हो।							
सर० न्याया/उच्च न्याया/न्यायाधिकरण द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञा	1716	3468.31	129	104	253	267	963
ऐसे मामलें जिनमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियों का विरोध किया जाता है।	327	828.95	9	4	22	56	236
ऐसे मामलें जिन्हें कॉल बुक/अन्य में रखने हेतु बोर्ड ने आदेश दिया है।	111	850.92	22	19	21	24	25
ऐसे मामलें जहां पार्टियों ने समझौता आयोग में आवेदन दायर किए थे, जो लंबित है।	45	289.86	6	8	9	6	16
कुल	16393	71722.58	1462	1008	2069	2723	9131

(स्रोत डी०पी०ई०सी०ई०-3ए, मार्च, 2020)

कार्य योजना

- (i) जिन मामलों में विभाग द्वारा दायर अपील के मामलें लंबित हैं, ऐसे सभी मामलों की स्थिति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है और सदस्य (वि० एवं न्या०) को उसकी रिपोर्ट दी जानी चाहिये। तत्पश्चात, जब भी आवश्यकता हो, शीघ्र सुनवाई की अर्जी, दाखिल करने की आवश्यक कार्यवाही मुख्य आयुक्त/आयुक्त या बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए, जैसा भी मामला हो। यह दो महीने के भीतर सभी ज़ोन द्वारा किया जाना चाहिए।
- (ii) जहां न्यायालयों द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है, ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि निषेधाज्ञा जारी करने के लिए एक आधार बनाया जाए, और उन पर उचित कार्रवाई की जा सके। इसे एक महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए अर्थात् 31.08.2020 तक और इसकी रिपोर्ट सदस्य (वि० एवं न्या०) को 30.09.2020 को भेज दी जानी चाहिए।
- (iii) ऐसे मामलों में, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियों के कारण लंबित हैं, यदि कोई हो, उन मामलों में आपत्तियों पर विरोध करने हेतु अदालती फैसले के संदर्भ में समीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा, मामलों को जल्द निपटान के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखा परीक्षा के साथ सख्ती से लिया जा सकता है ताकि लंबिता को कम से कम किया जा सके। यह 30.09.2020 तक किया जाना चाहिए।
- (iv) उन मामलों के संबंध में जहां पार्टी निपटान के लिए गई हैं, आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए मामले को निपटान आयोग के समक्ष रखा जा सकता है। यह समीक्षा 31.08.2020 तक पूरी हो सकती है।
- (v) बोर्ड के अर्ध-सरकारी पत्र फा०सं०101/2/92-सी एक्स3, दिनांक 04.03.1992 एवं परिपत्र सं० 53/90-सी०एक्स-3 के द्वारा कॉल बुक मामलों की समीक्षा, बिना असफलता के, की जानी चाहिए एवं पूर्ण समीक्षा के पश्चात एक रिपोर्ट, सदस्य (वि० एवं न्या०) को 31.10.2020 तक भेजी जानी चाहिए।

क.4 आयुक्त (अपील) के पास लंबित अपील

दिनांक 01.04.2020 तक, आयुक्त (अपील) के समक्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील की लंबिता।

आयुक्त (अपील)	विभागीय अपील		पार्टियों की अपील		कुल	
	सं०	राशि (रु० करोड़ में)	सं०	राशि (रु० करोड़ में)	सं०	राशि (रु० करोड़ में)
कें०उ०	747	817.55	4516	1691.25	5263	2508.80
से०क०	1168	449.65	7781	4653.46	8949	5103.11
कुल	1915	1267.20	12297	6344.71	14212	7611.91

कार्य योजना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में अखिल भारतीय स्तर पर आयुक्त (अपील) के पास कुल 14212 अपीलें निपटान के लिए लंबित हैं। यह औसतन प्रति आयुक्त (अपील) लगभग 285 मामलों में आता है। इसलिए यह वांछित है कि सभी अपीलें, जो 01.04.2020 तक लंबित हैं, 31.03.2021 से पहले सकारात्मक रूप से निपटा दी जाएँ।

क-4 अभियोजन

गठन	लंबित मामलों का समय-अनुसार ब्यौरा				
	एक वर्ष से कम	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	919	64	123	139	208
सेवा कर	61	12	24	19	4

10 से अधिक वर्षों से लंबित अभियोजन मामले गंभीर चिंता का विषय है। बोर्ड ने अभियोजन के कोण से मामलों से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर महीने अभियोजन रजिस्टर को बनाए रखा जाए और उसे अद्यतन किया जाए। एक वर्ष से अधिक समय से लंबित अभियोजन के सभी मामलों की आयुक्त द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और क्षेत्रीय मु०आयु०/ म०निदे० द्वारा 30.09.2020 तक संबंधित सदस्य को एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।

कार्य योजना

सभी क्षेत्रीय प्रमुख/ मुख्य आयुक्तों और संबंधित प्रधान आयुक्त/ आयुक्त को लोक अभियोजक के साथ अभियोजन का मुद्दा उठाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में और सेवा कर में, कोई भी अभियोजन 5.03.2021 तक 5 साल से अधिक समय तक लंबित न रहे।

क-6 राजस्व बकाया

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के अधीन 31.03.2020 तक राजस्व बकाया की लंबिता निम्नानुसार है:-

	कुल लंबिता		समय-अनुसार ब्यौरा (करोड़ में)								
			एक वर्ष से कम		1वर्ष से अधिक परंतु 2 से कम		2वर्ष से अधिक परंतु 5 से कम		5वर्ष से अधिक परंतु 10 से कम		10 से कम
	सं०	रा०	सं०	रा०	सं०	रा०	सं०	रा०	सं०	रा०	सं०
के०उ०शु	13232	11563.31	3092	4216.88	1145	816.05	1795	1124.24	2389	2513.32	48
से०कर	31905	10437.56	11288	5639.73	3543	1983.40	4832	1889	7530	786.33	47

इसके अलावा, आंकड़ों के विश्लेषण पर, यह देखा गया कि रु 7869 करोड़ 01.04.2020 तक स्पष्ट रूप से वसूली योग्य बकाया की श्रेणी में आता है। उक्त राशि का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है

क्रम संख्या	मुख्य आयुक्त क्षेत्र	वसूली योग्य बकाया (31.03.2020 तक)	
		बंद ईकाई / चूककर्ता जो अनुगमन योग्य नहीं	स्पष्टतः वसूली योग्य (करोड़ में)
		6	7
1	चंडीगढ़ के०उ० एवं जी०एस०टी	677	267
2	गुवाहाटीके०उ० एवं जी०एस०टी	96	51
3	पुणेके०उ० एवं जी०एस०टी	280	672
4	बेंगलूरुके०उ० एवं जी०एस०टी	371	455
5	जयपुरके०उ० एवं जी०एस०टी	340	189
6	अहमदाबादके०उ० एवं जी०एस०टी	595	27
7	चेन्नईके०उ० एवं जी०एस०टी	315	393
8	वडोदराके०उ० एवं जी०एस०टी	4,105	294
9	हैदराबादके०उ० एवं जी०एस०टी	1,535	161
10	मुंबईके०उ० एवं जी०एस०टी	2,682	217
11	भुवनेश्वरके०उ० एवं जी०एस०टी	178	66
12	पंचकुलाके०उ० एवं जी०एस०टी	379	60
13	नागपुरके०उ० एवं जी०एस०टी	344	234
14	लखनऊके०उ० एवं जी०एस०टी	248	373
15	दिल्लीके०उ० एवं जी०एस०टी	1,176	206
16	विशाखापटनमके०उ० एवं जी०एस०टी	367	292
17	मेरठके०उ० एवं जी०एस०टी	884	1,592
18	तिरुवन्तपुरमके०उ० एवं जी०एस०टी	72	224
19	भोपालके०उ० एवं जी०एस०टी	1,706	623
20	रांची के०उ० एवं जी०एस०टी	351	372
21	कोलकाता के०उ० एवं जी०एस०टी	615	1,094
	कुल	17,322	7,869

कार्य योजना

जैसा कि ऊपर बताया गया है, 31.03.2021 तक सभी क्षेत्रीय प्रमुख/ मुख्य आयुक्तों द्वारा स्पष्ट रूप से वसूली योग्य बकाया राशि को वसूल करने के प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा, मासिक आधार पर आयुक्त (टी०ए०आर) को क्षेत्र की प्रगति पर निगरानी करनी चाहिए और इस आशय में एक रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जानी चाहिए। यदि एस०वी०एल०डी०आर०एस योजना के तहत राशियों का निपटान किया गया है, तो आयुक्त की रिपोर्ट में समाधानकृत और प्रतिबिंबित होना चाहिए।

क-5 अनंतिम मूल्यांकन

मार्च, 2020 के अंत में, समय अनुसार पूरे भारतीय स्तर पर 59 मामले थे:-

6 - 12 माह	1 - 3 माह	3 वर्षों से अधिक
02	09	48

(स्रोत एम०पी०आर डी०जी०आई-सी०ई- 5 मार्च, 2020)

कार्य योजना:-

- (i) सभी क्षेत्रीय प्रधान/मुख्य आयुक्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क की ओर से 01.04.2020 तक लंबित सभी अनंतिम मूल्यांकनों को 31.03.2021 तक अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाए।
- (ii) प्रत्येक क्षेत्र द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है, कि अनंतिम मूल्यांकन का कोई भी मामला सेवा कर के तहत अंतिम रूप से लंबित नहीं है। इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है और यदि पुनः पुष्टि के बाद, किसी भी मामले को किसी भी रूप में लंबित पाया जाता है, तो इसे 6 महीने के भीतर अंतिम रूप दिया जा सकता है और बोर्ड को एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।

(कार्रवाई कर्ता:-केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त)

क-6 लेखा परीक्षा:-

विरासत लेखा परीक्षा: 1 जुलाई 2019 से जी०एस०टी लेखा परीक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया था, यह केवल उन करदाताओं के लिए था, जिन्होंने जी०एस०टी०आर 9/9A फॉर्म में अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल किया है। वार्षिक रिटर्न जी०एस०टी०आर 9/9 ए दाखिल करने की अंतिम तिथि समय-समय पर बढ़ाई गई है। क्षेत्र संरचनाओं में विरासत लेखा परीक्षा कर-निर्धारितियों के साथ जी०एस०टी लेखा परीक्षा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर करदाताओं के मूल्यांकन हेतु जारी रहेगी जिन्होंने अपना जी०एस०टी०आर 9/9 A रिटर्न दाखिल किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के कर-निर्धारितियों की सूची पहले से ही क्षेत्र संरचनाओं के लिए परिचालित की गई थी, ताकि वह कर-निर्धारितियों का चयन करने में सक्षम हो।

कार्य योजना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लेखा परीक्षा से संबंधित लंबिता के निबटान हेतु प्रयास किए जाने चाहिए जैसे कि कारण बताओ नोटिस जारी करना और लंबित पैरा में बकाया की वसूली करना, और समयबद्ध तरीके से लंबित लेखा परीक्षा पैरा को बंद करने की कार्रवाई भी करनी चाहिए। इसके अलावा, जी०एस०टी के तहत लेखा परीक्षा का आयोजन करते समय यदि किसी कानून का पालन नहीं किया जाता है, जो पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर अवधि में भी है, लेखा परीक्षा के आयुक्त कानूनी रूप से निर्धारित समयावधि को ध्यान में रखते हुए संबंधित कानून के तहत उचित कार्रवाई करेंगे।

(ख) व्यापार करने की सुगमता

(ख1.) धनवापसी की स्थिति

(अ) केंद्रीय उत्पाद शुल्क: धन वापसी/छूट

	लंबिता		समय-अनुसार ब्यौरा							
			3 माह से कम		3-6 माह		6-12 माह		1 वर्ष से अधिक	
	सं०	रा०	सं०	रा०	सं०	रा०	सं०	रा०	सं०	रा०
धन वापसी	1046	506.21	929	243.14	48	70.71	52	13.51	17	178.84
छूट	176	54.20	168	53.28	5	0.91	0	0.00	3	0.01

सेवा कर: धन वापसी

(01.04.2020तक)

(करोड़ में)

लंबिता		समय-अनुसार ब्यौरा							
		3 माह से कम		3-6 माह		6-12 माह		1 वर्ष से अधिक	
सं०	रा०	सं०	रा०	सं०	रा०	सं०	रा०	सं०	रा०
21321	1745.75	10412	872.06	3728	107.40	6818	474.05	363	292.23

[स्रोत-डी०पी०एम-सेक-4,मार्च, 2020]

कार्य योजना:

सभी प्रधान मुख्य/मुख्य आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित अभियान शुरू करना चाहिए कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर से संबंधित 31.03.2020 तक लंबित सभी धन वापसी के मामलों 30.10.2020 तक निपट जाएं।

(ख2.) विवाद प्रबंधन [आयुक्त (अपील) के अलावा अन्य]

31.03.2020के अनुसार विभिन्न के लिए अपील (विभाग और पार्टी अपील) की लंबिता स्थिति निम्नानुसार है: -

सर्वोच्च न्यायालय	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल	
	सं०	राशि (करोड़ में)	सं०	राशि (करोड़ में)	सं०	राशि (करोड़ में)
के०उ०	810	11008.87	462	2214.56	1272	13223.43
से०क	568	10449.29	381	7468.14	949	17917.43

कुल	1378	21458.16	843	9682.70	2221	31140.86
-----	------	----------	-----	---------	------	----------

उच्च न्यायालय	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल	
	सं०	राशि (करोड़ में)	सं०	राशि (करोड़ में)	सं०	राशि (करोड़ में)
के०उ०	1794	10535.15	3138	9064.49	4932	19599.65
से०क	776	5276.28	3667	20025.52	4443	25301.80
कुल	2570	15811.43	6805	29090.01	9375	44901.45

सेस्टेट	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल	
	सं०	राशि (करोड़ में)	सं०	राशि (करोड़ में)	सं०	राशि (करोड़ में)
के०उ०	2707	11628.36	1978 5	62296.31	2249 2	73924.67
से०क	2785	16105.30	2305 3	93990.48	2583 8	110095.78
कुल	5492	27733.66	4283 8	156286.79	4833 0	184020.45

कार्य योजना

(1) क्षेत्र संरचनाओं से सभी लंबित विभागीय अपीलों को वापस लेने का अनुरोध किया जाता है जो 31.12.2020 तक विरासत मामलों के लिए निर्देश के अनुसार मौद्रिक सीमा से नीचे आते हैं।

(2) 11.02 2020 के अर्धप्रशासनिक पत्र द्वारा सदस्य (विधि) ने 15 मामलों की एक सूची संचालित की थी, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में निर्णय पारित किया था। जिसमें क्षेत्रीय प्रधान मुख्य/ मुख्य आयुक्तों से इन मामलों में वसूली की कार्यवाही शुरू करने और अन्य समान मामलों की पहचान करने और उन मामलों में आवश्यक कार्रवाई 31.03.2021 तक करने का अनुरोध किया गया है।

(3) सदस्य (विधि) ने अर्धप्रशासनिक पत्र दिनांक 25.08.2017 द्वारा क्षेत्र संरचना को निर्देश दिया था, कि जिन मामलों में राजस्व 10 करोड़ रुपये से अधिक है, उन मामलों में जल्दी सुनवाई/रिहाई के लिए विविध आवेदन दाखिल करें। क्षेत्र संरचना से पत्र और स्वभाव में इस निर्देश का पालन करने के लिए अनुरोध किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जहां राजस्व में 10 करोड़ रुपए निहित हो वहां सभी लंबित मामलों की सुनवाई/रिहाई अधिक से अधिक 31.12.2020 तक की जानी चाहिए। इस संबंध में एक रिपोर्ट बोर्ड को 15.01.2021 तक भेज दी जानी चाहिए।

(4) सेस्टेटमें मामलों की जाँच के लिए निर्देश फ़ाइल संख्या 390/विविध/46/2017-जे०सी, दिनांक 14.06.2017 जारी किया गया है, इसके अंतर्गत क्षेत्र संरचनाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे मुद्दों की पहचान करें और यह सुनिश्चित करें कि सेस्टेट में लंबित सभी समान मामलों को एकत्रित करके उनका त्वरित निपटान 31.10.2020 तक किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक रिपोर्ट बोर्ड को 15.11.2020 तक भेज दी जानी चाहिए।

(5) विधि मामलों के विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने विभिन्न चरणों में मामलों की ऑनलाइन जांच के लिए "कानूनी सूचना प्रबंधन और पत्रसार प्रणाली" (लिंक्स) नामक एक ऑनलाइन आवेदन विकसित किया है।

सी०बी०आई०सी के तहत क्षेत्र सरचना ने लिंब्स पर केवल 73,496 मामले अपलोड किए हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि शेष सभी मामले 31.10.2020 तक अपलोड कर दिए जाएं।

(6) एस०बी०एल०डी०आर०एस योजना के लिए कर-निर्धारितीओं द्वारा तय की गई अपील को पुनर्गठित किया जाना चाहिए और इसे क्षेत्रीय मासिक रिपोर्ट में दर्शाया जाना चाहिए।

कार्रवाई कर्त्ता:- सभी प्रधान आयुक्त/ केंद्रीय जी०एस०टी आयुक्त/ क्षेत्रीय प्रधान आयुक्त/ केंद्रीय जी०एस०टी के सभी मुख्य आयुक्त/ विधिकार्य निदेशालय।

भाग-ख सीमा शुल्क

सीमा शुल्क (01.04.2020 तक) में लंबित जांच के समय-अनुसार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मामलों की संख्या	समय-अनुसार ब्यौरा (संख्या)			
	6 माह से कम	6 माह से 12 माह	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्षों से अधिक
12,217	8539	2209	860	609

यह देखा गया है कि जांच के 12,217 मामले लंबित हैं। इन मामलों में बंद राजस्व की मात्रा बहुत बड़ी है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जांच को 1 वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखना एक गंभीर मामला है, जिसके लिए आयुक्त स्तर पर सख्त निगरानी की आवश्यकता है।

कार्य योजना

- (I) 31.12.2020 तक एक वर्ष से अधिक सभी मामलों की (31.03.2020 तक) लंबित जांच को अंतिम रूप देना।
- (II) 31.12.2020 तक छह महीने से अधिक (31.03.2020तक) सभी मामलों की लंबित जांच को अंतिम रूप देना।
- (III) क्षेत्रीय प्रमुख को मासिक आधार पर प्रगति की निगरानी करनी चाहिए।

कार्रवाई कर्त्ता: राजस्व आसूचना निदेशालय, सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, सी०आई०यू/एस०आई०आई०बी० कस्टम हाउस के अनुभाग।

क-2 अधिनिर्णयन:-

अधिनिर्णयन के लिए सीमा शुल्क (01.04.2020 तक) में लंबित जांच के समय-अनुसार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र०सं	अधिनिर्णयन प्राधिकारी (पदनाम)	समय-अनुसार लंबिता का ब्यौरा (संख्या)
--------	-------------------------------	--------------------------------------

		No.	< 3 माह	3-6 माह	6-12 माह	1 वर्ष से अधिक
1	आयुक्त	1352	438	243	274	397
2	अप०आ०/ सं०आ०	4412	1397	914	1116	985
3	उपा० / सहा०आ०	4127	1717	617	776	1017
	कुल	9891	3552	1774	2166	2399

[स्रोत:-डी०पी०एम-सी-1अ, मार्च, 2020]

कार्य योजना :-

- क्षेत्रीय प्रधान प्रमुख/मुख्य आयुक्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 01.04.2020 को 1 वर्ष से अधिक के लिए सीमा शुल्क के लंबित सभी 2399 मामलों का निपटारा बिना असफलता के 31.12.2020 तक किया जाना चाहिए।
- 31.03.2021 तक शेष लंबित 7492 मामलों का प्रयास करने और निपटाने के लिए क्षेत्रीय प्रधान प्रमुख/मुख्य आयुक्त द्वारा लक्ष्य प्रणाली के तहत एक ईमानदार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

कार्रवाई कर्त्ता: सभी प्राधिकारी/समीक्षा अधिकारी।

क3. कॉल बुक

01.04.2020 तक लंबिता

अधिनिर्णयन प्राधिकारी (नाम एवं पदनाम)	लंबिता की संख्या	समय-अनुसार लंबिता का ब्यौरा				
		< 3 माह	3-6 माह	6-12 माह	1-2 वर्ष	> 2 वर्ष
आयुक्त	1764	249	111	208	256	940
अप०आ०/ सं०आ०	1208	189	107	29	197	686
उपा० / सहा०आ०	2476	58	43	1455	113	807
कुल	5448	496	261	1692	566	2433

[स्रोत:-डी०पी०एम-सी-3ए, मार्च, 2020]

01.04.2020 तक

कॉल बुक मामलों की लंबिता का कारण	लंबिता की संख्या	समय-अनुसार लंबिता का ब्यौरा				
		< 3 माह	3-6 माह	6-12 माह	1-2 वर्ष	> 2 वर्ष
ऐसे मामलें जिनमें विभाग अपील हेतु उपयुक्त प्राधिकारी के पास गया हो।	3284	363	221	235	392	2073
सर० न्याय०/उच्च न्याय०/न्यायाधिकरण द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञा।	1947	84	14	1428	99	322
ऐसे मामलें जिनमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियों का विरोध किया जाता है।	19	0	0	0	7	12

सर० न्याय/उच्च न्याय/न्यायाधिकरण द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञा।	137	50	10	11	55	11
ऐसे मामलें जहां पार्टियों ने समझौता आयोग में आवेदन दायर किए थे, जो लंबित है।	61	16	5	13	14	13
कुल	5448	513	250	1687	567	2431

[स्रोत:-डी०पी०एम-सी-3बी, मार्च, 2020]

कार्य योजना :-

(i) ऐसे मामलें जो विभाग द्वारा दायर अपील के कारण लंबित हैं, ऐसे सभी मामलों की स्थिति की समीक्षा करने और सदस्य (वि० एवं न्या०) को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात, जहाँ भी आवश्यकता होगी, जैसा भी मामला हो, शीघ्र सुनवाई की अर्जी दाखिल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही संबंधित प्रधान आयुक्त/आयुक्त या बोर्ड, द्वारा की जाएगी। यह 2 महीने के भीतर क्षेत्रों द्वारा किया जाना चाहिए।

(ii) जहां न्यायालयों द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है, ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि निषेधाज्ञा जारी करने के लिए एक आधार बनाया जाए, और उन पर उचित कार्रवाई की जा सके। इसे एक महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए अर्थात् 31.08.2020 तक और इसकी रिपोर्ट सदस्य (वि० एवं न्या०) को 30.09.2020 तक भेज दी जानी चाहिए।

(iii) ऐसे मामलों में जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियों के कारण लंबित हैं, उन मामलों पर अदालती फैसले के संदर्भ में समीक्षा की जा सकती है, यदि कोई आपत्तियों को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा, मामलों को जल्द निपटारे के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखा परीक्षा के साथ सख्ती से लिया जा सकता है ताकि लंबिता को कम से कम किया जा सके। यह 30.09.2020 तक किया जाना चाहिए।

(iv) उन मामलों के संबंध में जहां पार्टी निपटान के लिए गई हैं, आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए मामले को निपटान आयोग के तहत लिया जा सकता है। यह समीक्षा 31.09.2020 तक पूरी हो सकती है।

(v) बोर्ड के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले की समीक्षा संबंधित प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा की जानी चाहिए और उसकी समीक्षा पूरी होने की एक रिपोर्ट 30.10.2020 तक सदस्य (वि० एवं न्या०) को भेजी जा सकती है।

(क.4) आयुक्त (अपील) के पास लंबित अपील

01.04.2020 तक, आयुक्त के समक्ष सीमा शुल्क, अपील की लंबित अपीलें इस प्रकार हैं:-

आयुक्त (अपील)	विभागीय अपील	पार्टी की अपील	कुल
	संख्या	संख्या	संख्या
	696	10,055	10,791

[स्रोत:-डी०एल०ए०-सी-1, डी०एल०ए०-सी-2, मार्च, 2020]

कार्य योजना :-

पूरे भारत में आयुक्त (अपील) द्वारा निपटान के लिए कुल 10,791 अपीलें लंबित हैं। यह उम्मीद की जाती है कि सभी अपीलें जो 01.04.2020 तक लंबित हैं, 31.03.2021 से पहले सकारात्मक रूप से निपटा देनी चाहिए।

(क.5) अभियोजन

लंबिता	समय-अनुसार लंबिता का ब्यौरा				
	<1 वर्ष से	1-3वर्ष	3-5वर्ष	5-10 वर्ष	>10वर्ष
4473	887	752	380	405	2049

[स्रोत:-डी०एल०ए०-सी-1ए, मार्च, 2020]

10 से अधिक वर्षों से लंबित अभियोजन मामले गंभीर चिंता का विषय है। बोर्ड ने अभियोजन दृष्टि से मामलों को निपटाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे मामले हैं, जहां व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच के बाद व्यक्तियों पर मुकदमा न चलाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, अदालतों में समापन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है, जिसके कारण मामले सालों से लंबित हैं। सभी क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन रजिस्टर हर महीने बनाए रखा जाए और अद्यतन किया जाए। एक वर्ष से अधिक समय से लंबित अभियोजन के सभी मामलों की आयुक्त द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और जोनल मुख्य आयुक्तों/महानिदेशकों द्वारा 30.09.2020 तक संबंधित सदस्य को एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।

कार्य योजना:-

सभी क्षेत्रीय प्रधान मुख्य/ मुख्य आयुक्त और संबंधित प्रधान आयुक्त आयुक्त को सरकारी वकील के साथ अभियोजन के मुद्दे को उठाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अभियोजन का कोई भी मामला 31.01.20121 तक 5 साल से अधिक लंबित न रहे। ऐसे मामले जहां अभियोजन का आरंभ करना योग्यता के आधार पर दायर करने का इरादा नहीं है, हालांकि शुरू में गिरफ्तारियां की गई हैं, ऐसे मामलों को 31.12.2020 तक बंद करने के लिए सरकारी वकील की मदद ली जा सकती है।

कार्रवाई कर्त्ता: सीमा शुल्क के सभी कार्यकारी आयुक्त, प्रधान अप० आयुक्त एवं डी०जी०डी०आर०आई के आयुक्त।

(क-6.) बकाया राजस्व

31.03.2020 को राजस्व के बकाया की लंबिता इस प्रकार थी:-

कुल लंबिता		समय-अनुसार लंबिता का ब्यौरा (करोड़ में)									
		1 वर्ष से कम		1 वर्ष से अधिक पर 2 वर्ष से कम		2 वर्ष से अधिक पर 5 वर्ष से कम		5 वर्ष से अधिक पर 10 वर्ष से कम		10 वर्षों से अधिक	
सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
287 73	8043. 99	890 9	4981 .17	325 9	584. 03	385 1	684. 12	556 7	853. 53	718 7	941. 12

[टार-सी०शु०-4, मार्च, 2020 माह के लिए]

इसके अलावा, आंकड़ों का विश्लेषण करने पर, यह देखा गया कि रु 2714 करोड़ 31.03.2020 तक स्पष्ट रूप से वसूली योग्य बकाया की श्रेणी में आता है। उक्त राशि का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है -

क्रम संख्या	मुख्य आयुक्त क्षेत्र	वसूली योग्य बकाया (31.03.2020 तक)	
		बंद ईकाई / चूककर्ता जो अनुगमन योग्य नहीं	<u>स्पष्टतः</u> वसूली योग्य (करोड़ में)
		6	7
1	चेन्नई, सीमा शुल्क	286	177
2	मुंबई - III, सीमा शुल्क	65	190
3	अहमदाबाद, सीमा शुल्क	637	98
4	बेंगलूरु, सीमा शुल्क	77	56
5	दिल्ली, सीमा शुल्क	930	873
6	कोलकाता, सीमा शुल्क	2	327
7	मुंबई-II, सीमा शुल्क	0	663
8	मुंबई-I, सीमा शुल्क	123	177
9	पटना निवारक	7	42
10	तिरुचिपल्ली निवारक	163	41
11	दिल्ली निवारक	165	70
	कुल (31.03.2020 तक)	2455	2714

कार्य योजना:-

जैसा कि 31.03.2021 तक ऊपर दर्शाया गया है, सभी क्षेत्रीय मुख्य/ मुख्य आयुक्तों द्वारा स्पष्ट रूप से वसूली योग्य बकाया राशि की वसूली करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा, मासिक आधार पर, आयुक्त (टार) क्षेत्र की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं और इस संबंध में एक रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बकाया राशि का उल्लेख सही शीर्षों के तहत किया जाए क्योंकि रिपोर्ट, आयुक्तालय की रिपोर्टों के आधार पर बनाई गई है और लक्ष्य की गैर उपलब्धि के कारण किसी भी गलतियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कार्रवाई कर्ता:- सीमा शुल्क एवं सी०सी० (टार) के सभी मुख्य आयुक्त

(क-7.) अनंतिम मूल्यांकन

कुल	0-6 माह	6-12 माह	1-2 वर्ष	2 वर्षों से अधिक
मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या
5,51,113	56,338	65,334	80,923	3,48,518

[स्रोत: मार्च, 2020 का एम०पी०आर डी०पी०एम-सी०शु०-5ए]

01.04.2020 तक

अनंतिम मूल्यांकन के लिए लंबिता का कारण	समय-अनुसार लंबिता का ब्यौरा (करोड़ में)			
	0-6 माह	6-12 माह	1-2 वर्ष	2 वर्षों से अधिक
	NO.	NO.	NO.	NO.
1	2	3	4	5
एस०वी०बी जांच के कारण लंबित	22192	19556	35553	130408
दस्तावेज़ प्राप्त ना होना	4565	3179	6794	13674
परीक्षण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा	6864	3098	5915	38178
PROJECT IMPORT (WAITING FOR 'END USE')	1302	795	962	6806
कर-निर्धारिती द्वारा आवेदन	618	299	26	197
अन्य	20,797	38,407	31,673	1,59,255

[स्रोत: मार्च, 2020 का एम०पी०आर डी०पी०एम-सी०शु०-5बी]

एक वर्ष से अधिक के अंतर्गत कुल 4,29,441 मामले लंबित हैं। इन मामलों में से, लगभग 1,66,000 मामले एस०वी०बी जांच के कारण लंबित हैं और अन्य 44,200 मामले परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित हैं। सीमा शुल्क नियम, 2018 में दी गई समय सीमा के अनुरूप अनंतिम मूल्यांकनों को अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

कार्य योजना :-

वर्तमान वर्ष की कार्य योजना के भाग के रूप में, सीमा शुल्क के क्षेत्रीय मुख्य आयुक्तों को अनंतिम मूल्यांकन के सभी मामलों को विनियमित करने के लिए एक अभियान शुरू करना चाहिए जो विनियमों में निर्धारित समय सीमा से परे लंबित हैं। प्रत्येक सीमा शुल्क आयुक्तालय को यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य बल बनाना चाहिए कि इन सभी अस्थायी आकलन को 31.03.2021 तक सकारात्मक रूप से निपटाया जाए।

कार्रवाई कर्ता:- सभी आयुक्त/क्षेत्रीय मुख्य आयुक्त

ख. व्यापार करने में सुगमता**(ख.1.) धनवापसी**

01.04.2020 तक लंबित स्थिति

(राशि करोड़ में)

सीमा शुल्क : धनवापसी

लंबिता	समय-अनुसार ब्यौरा
--------	-------------------

		3 माह से कम		3-6 माह		6-12 माह		1 वर्ष से अधिक	
सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
6029	900.57	1734	388.83	1035	288.03	77	44.40	3183	179.31

[स्त्रोत:- डी०पी०एम -सी०शु०-4, मार्च, 2020]

कार्य योजना:-

सभी क्षेत्रीय प्रधान मुख्य/ मुख्य आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित अभियान शुरू करना चाहिए कि 31.3.2020 पर लंबित सभी धनवापसी के मामलों 30.10.2020 द्वारा सकारात्मक रूप से निपटा दिये जाएं।

कार्रवाई कर्ता:- सभी आयुक्त/क्षेत्रीय मुख्य आयुक्त

(ख.2.) ड्रॉबैक

01.04.2020 तक

ड्रॉबैक	जमा शेष	जमा शेष का समय-अनुसार ब्यौरा					
		< 1 माह	1-3 माह	3-6 माह	6-12 माह	1-2 वर्ष	>3 वर्ष
ए०आई०आर	245247	135325	35238	14198	29498	24301	6687
ब्रांड दर	11387	508	6159	483	1050	1213	1974
धारा 74	1362	175	710	380	68	18	11
कुल	257996	136008	42107	15061	30616	25532	8672

[स्त्रोत:- डी०पी०एम -सी०शु०-9, मार्च, 2020]

कार्य योजना :-

1. 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित ड्रॉबैक के सभी मामलों को 30.10.2020 तक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2. ड्रॉबैक के सभी मामले जो 6 महीने से अधिक परंतु 1 वर्ष के समय से लंबित हैं, ऐसे सभी मामलों को 31.12.2020 तक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
3. ड्रॉबैक के सभी मामलों को 31.03.2021 तक सकारात्मक रूप से निपटाया जाना चाहिए। ऐसा करते समय, हमें 7 कार्य दिवसों के भीतर ड्रॉबैक के मामलों को निपटाने के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।

4. 1 महीने से अधिक समय से लंबित सभी ब्रांड दर आवेदनों को 31.12.2020 तक निपटाया जाना चाहिए और 01.04.2020 को एक महीने से कम समय के लिए लंबित ब्रांड दर आवेदनों को 31.03.2021 तक निपटाया जाना चाहिए। यदि सत्यापन आदि के लिए उनके आवेदन में देरी हो जाए तो निर्यातकों को ड्रावैक नियमों द्वारा अनुज्ञेय ब्रांड की दर दी जाएगी।

5. बकाया ड्रावैक मामलों में निर्यात आय की वसूली, जिसमें निर्यात 31.03.2019 को या उससे पहले किया गया था, सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कार्रवाई कर्ता: सीमा शुल्क के सभी आयुक्त/सीमा शुल्क के क्षेत्रीय मुख्य आयुक्त।

विवाद प्रबंधन [आयुक्त (अपील) के अलावा अन्य]

31.03.2020 के अनुसार विभिन्न स्तरों पर अपील की समग्र लंबिता स्थिति (विभागीय और पार्टी अपील) निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल	
		सं०	राशि (करोड़ में)	सं०	राशि (करोड़ में)	सं०	राशि (करोड़ में)
1	सर्वोच्च न्यायालय	475	2909.03	396	3182.41	871	6091.44
2	उच्च न्यायालय	2195	3767.06	3040	4665.21	5235	8432.27
3	सेस्टेट	2695	3313.84	11716	16801.77	14411	20115.60
	कुल	5365	9989.93	15152	24649.39	20517	34639.31

(स्रोत- डी०एल०ए)

कार्य योजना:-

(क) क्षेत्र संरचना में सभी लंबित विभागीय अपीलों को वापस लेने का अनुरोध किया जाता है, जो मौजूदा निर्देशों के अनुसार मौद्रिक सीमा के अंतर्गत आते हैं।

(ख) सदस्य (विधि) ने अर्धप्रशासनिक पत्र दिनांक 25.08.2017 द्वारा क्षेत्र संरचना को निर्देश दिया था, कि जिन मामलों में राजस्व 10 करोड़ रुपये से अधिक है, उन मामलों में जल्दी सुनवाई/रिहाई के लिए विविध आवेदन दाखिल करें। क्षेत्र संरचना से पत्र और स्वभाव में इस निर्देश का पालन करने के लिए अनुरोध किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जहां राजस्व में 10 करोड़ रुपए निहित हो वहां सभी लंबित मामलों की सुनवाई/रिहाई अधिक से अधिक 31.12.2020 तक की जानी चाहिए। इस संबंध में एक रिपोर्ट बोर्ड को 15.01.2021 तक भेज दी जानी चाहिए।

(ग) सेस्टेट में मामलों की जाँच के लिए निर्देश फ़ाइल संख्या 390/विविध/46/2017-जे०सी, दिनांक 14.06.2017 जारी किया गया है, इसके अंतर्गत क्षेत्र संरचनाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे मुद्दों की पहचान करें और यह सुनिश्चित करें कि सेस्टेट में लंबित सभी समान मामलों को एकत्रित करके उनका त्वरित निपटान 31.10.2020 तक किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक रिपोर्ट बोर्ड को 15.11.2020 तक भेज दी जानी चाहिए।

घ कानून एवं न्याय मंत्रालय, विधिकार्य विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर मामलों का ऑनलाइन पता लगाने (ट्रैक) के लिए एक ऑनलाइन अनुप्रयोग, “विधि सूचना प्रबंधन और पत्रसार (ब्रीफिंग) प्रणाली” (एल.आई.एम.वी.एस.) विकसित की है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन क्षेत्र कार्यालयों द्वारा केवल 73,946 मामले एल.आई.एम.वी.एस. पर अपलोड किए गए हैं। यह अनुरोध है कि दिनांक 31.10.2020 तक शेष सभी मामले अपलोड किए जाएं।

(कार्रवाईकर्ता) : केंद्रीय माल और सेवा कर के सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त/ केंद्रीय माल और सेवा कर के ज़ोनल प्रधान मुख्य आयुक्त /मुख्य आयुक्त/विधिकार्य निदेशालय।

ख4. छूट की अधिसूचनाओं, परिपत्रों और अनुदेशों के विषय-वार सूचीकरण/समेकन की वार्षिक समीक्षा

1. दरों (टैरिफ) को सरल और युक्तिसंगत बनाना - छूटों की समीक्षा।
2. मूल्य वर्धन, आय सृजन और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए दर (टैरिफ) संरचना का निर्माण - मंत्रालयों के संदर्भों के आधार पर, यदि कोई हो।
3. टैरिफ व्युत्क्रम को सही करना (कच्चे माल पर उच्च शुल्क और तैयार माल पर कम शुल्क) जो घरेलू उत्पादन का समर्थन करेगा और घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर कार्यक्षेत्र प्रदान करेगा- मंत्रालयों के संदर्भों के आधार पर, यदि कोई हो।
4. कृषि उत्पादों के लिए समय-समय पर आयात शुल्क संरचना की समीक्षा करना ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जा सके।
5. कर निर्धारण अभ्यास में एकरूपता सुनिश्चित करने और विवादों के परिणामस्वरूप मुकदमेबाज़ी को खत्म करने के लिए मामलों को स्पष्ट करना।

कार्रवाईकर्ता : टीआरयू, सीबीआईसी

ख5. नमूनों की हेर-फेर रोधी पैकिंग (टैंपर प्रूफ पैकिंग) और उनकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग का कार्यान्वयन:

चेन्नई सीमा शुल्क ने एक मॉड्यूल का प्रमोचन किया है, जिसके तहत उन सीलबंद थैलों/पैकेटों पर बार कोड लगाए गए जिनमें रासायनिक परीक्षण हेतु लिए गए नमूनों पैक थे। इन बार कोडों में परेक्षण के विवरण (उदाहरणार्थ, टेस्ट मेमो सं., आयात-पत्र की सं., तारीख, घोषित विवरण आदि) निहित था। नमूनों के लिए सीलबंद आवरण (कवर) हेर-फेर रोधी पैकिंग (टैंपर प्रूफ पैकिंग) और बार-कोड की जानकारी प्रदान करता है, जिसे हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरण या मोबाइल फोन से भी पढ़ा जा सकता है।

2. यह नमूना लिए जाने से लेके उसके परीक्षण किए जाने तक और प्रयोगशाला द्वारा अवशिष्ट नमूना लौटाने तक के चरण के चरण-वार संचलन का पता करने (ट्रैक) के लिए सक्षम बनाता है। मॉड्यूल की विशेषताएँ आयातक या सीमा शुल्क ब्रोकर को एस.एम.एस. के माध्यम से नमूने के परीक्षण की प्रगति के साथ लेकिन इंटरनेट के माध्यम से प्रणाली (सिस्टम) पर लॉग इन करने और परीक्षण की स्थिति का पता लगाने संबंधी जानकारी की प्राप्त कर सकने के लिए भी सक्षम बनाती हैं। अनुखंड (मॉड्यूल) नमूनों के परीक्षण की पूरी प्रक्रिया को बहुत अधिक पारदर्शिता बनाता है और इससे यह भी लाभ है कि वरिष्ठ प्रबंधन किसी भी समय लंबिता की निगरानी कर सकता है और स्थानीय

केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सी.आर.सी.आर.) के द्वारा नमूनों के परीक्षण की गति के साथ-साथ किए गए परीक्षणों के क्रम संबंधी डेटा को भी देख सकता है।

3. तत्पश्चात, पी.जी.ए. द्वारा तैयार किए गए नमूनों को भी मॉड्यूल के दायरे में शामिल करना संभव होगा। नासिन (एन.ए.सी.आई.एन.), चेन्नई द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस (सम्मेलन) का आयोजन फरवरी, 2020 में सभी सीमा शुल्क क्षेत्रों को संवेदनशील बनाने के लिए इस विचार के साथ किया कि वे इसे अपने क्षेत्राधिकारों में भी कार्यान्वित करें।

4. इस पहल के अनुसरण में, प्रणाली महानिदेशालय को केंद्रीयकृत वातावरण में इसका अधिग्रहण कर लेना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो इस वातावरण के अनुकूल बनाते हुए। मॉड्यूल के स्पष्ट लाभों को ध्यान में रखते हुए, इसका अखिल भारतीय कार्यान्वयन जल्द ही होना चाहिए।

कार्य योजना

क) 30 अक्टूबर, 2020 तक सभी प्रमुख सीमा शुल्क स्थानों पर परीक्षण के नमूनों और परीक्षण रिपोर्टों को ट्रेक करने के लिए चेन्नई सीमा शुल्क द्वारा पहले से शुरू किए गए वेब-आधारित मॉड्यूल को कार्यान्वित करना।

ख) 31 दिसंबर, 2020 तक अन्य सभी सीमा शुल्क स्थानों में मॉड्यूल का विस्तार करना।

कार्रवाईकर्ता : सीमा शुल्क ज़ोन के मुख्य आयुक्त और महानिदेशक (प्रणाली)

ख6. सभी सीमा शुल्क कार्यालयों में व्यापार करने की सुगमता (ई.ओ.डी.बी.) के स्कोर बोर्ड का कार्यान्वयन:

यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सरलीकरण हेतु किए गए सुधारों के संबंध में सीमा शुल्क ब्रोकरों को बताने के लिए भेजा गया एक गोपनीय स्कोर बोर्ड है। यह व्यापार करने की सुगमता (ई.ओ.डी.बी.) के स्कोर बोर्ड को चेन्नई और जे.एन.सी.एच. में वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। यह कार्ड मुख्य रूप से 4 मापदंडों पर आधारित है, अर्थात:

- (i) फाइल किए गए अग्रिम/पूर्व आयात-पत्रों की (बी.ई.) की संख्या।
- (ii) एक आयात-पत्र (बी.ई.) के अनुसार अपलोड किए ई-संचित दस्तावेजों की संख्या।
- (iii) कर निर्धारण से शुल्क भुगतान तक लिया गया औसत समय।
- (iv) शुल्क भुगतान से पंजीकरण तक लिया गया औसत समय।

2. बोर्ड ने अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में इसके विस्तार की उपयोगिता की जांच की है और फा.सं.450/145/2019-सी.शु.IV से जारी सदस्य (सीमा शुल्क) के दिनांक 10.02.2020 के अर्धशासकीय पत्र द्वारा सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों/मुख्य आयुक्तों को उक्त कार्यान्वयन हेतु कहा गया है। इस पहल के, विश्व बैंक के वर्ष 2021 के अध्ययन के लिए व्यापार करने की सुगमता सूचकांक (ई.ओ.डी.बी.आई.) के सीमा पार व्यापार घटक में सुधार के रूप में होने का भी दावा किया है। उक्त को डी.पी.आई.आई.टी. को भी भेजा गया है और दिनांक 10.01.2020 और 29.06.2020 को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कार्य योजना

अक्टूबर, 2020 तक सभी सीमा शुल्क कार्यालयों में व्यापार करने की सुगमता (ई.ओ.डी.बी.) के स्कोर बोर्ड, जो कि चेन्नई सीमा शुल्क ज़ोन और मुंबई-II द्वारा पहले ही शुरू किया जा चुका है, को कार्यान्वित करना।

कार्रवाईकर्ता : सीमा शुल्क ज़ोन के मुख्य आयुक्त

ख7. सभी सीमा शुल्क प्रवेशद्वार पत्तनों में डी.पी.डी./डी.पी.आई. को बढ़ावा देना।

डी.पी.डी. योजना के अंतर्गत, जिन कंटेनरों को जांच की आवश्यकता नहीं है, आयातकों को उनकी पत्तन से सीधी सुपुर्दगी की जा सकती है। इस तरह के कंटेनरों को विमोचन के लिए कंटेनर माल डुलाई स्टेशन (सी.एफ.एस.) नहीं भेजा जाता है।

2. डी.पी.डी. यद्यपि जे.एन.पी.टी. में वर्ष 2017-18 में प्रस्तुत किया गया था, इसे परिपत्र 29/2019-सी.शु. के तहत अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित किया गया। डी.पी.डी. उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न पत्तनों पर सभी जगह डी.पी.डी. मानक सरलीकृत और मानकीकृत किए जा रहे हैं। इसे सभी आर.एम.एस. सुविधायुक्त कार्गो तक बढ़ा दिया गया है। प्रति वर्ष न्यूनतम 25 एफ.सी.एस. वाले आयातकों सहित प्राधिकृत आर्थिक संचालक (ए.ई.ओ.) (टियर-I/II/III) भी इस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। जे.एन.सी.एच. में डी.पी.डी. ग्राहक 1586 (मार्च, 2018) से बढ़ कर दिनांक 13.07.2020 तक 4505 हो गए थे। (संदर्भ <http://www.jawaharcustoms.gov.in/information.aspx?PageID=33>), जो की कुल आयातकों का लगभग 57% है।

3. निर्यात की ओर सीधे पत्तन प्रवेशों के संबंध में, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे कि चेन्नई सीमा शुल्क ज़ोन, जे.एन.सी.एच., कोलकाता सीमा शुल्क आदि ने कंटेनर माल डुलाई स्टेशनों (सी.एफ.एस.) पर जाने की आवश्यकता के बिना, प्रत्यक्ष रूप से टर्मिनल के अंदर कंटेनरों को अनुमति देने के लिए प्रत्यक्ष पत्तन प्रविष्टि (डी.पी.ई.) की शुरुआत की है।

कार्य योजना

- क डी.पी.डी. योजना को अपनाने के लिए व्यापार को प्रोत्साहित करना और मार्च 2021 तक सुविधायुक्त कार्गो के द्वारा इसके अंगीकरण को 70% तक बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर सभी आवश्यक कदम उठाना।
- ख प्रत्यक्ष पत्तन प्रविष्टि (डी.पी.ई.) योजना को अपनाने के लिए व्यापार को प्रोत्साहित करना और मार्च 2021 तक फैक्ट्री में भरे गए कार्गो द्वारा इसके अंगीकरण को 70% तक बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर सभी आवश्यक कदम उठाना।

कार्रवाईकर्ता : सीमा शुल्क ज़ोन के मुख्य आयुक्त

ख8. एस.वी.बी. जांच:

दिनांक 30.06.2020 तक मामलों की संख्या

एस.वी.बी.	1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	कुल
मुंबई	163	197	517	877
दिल्ली	93	33	2	128
चेन्नई	179	50	187	416
बेंगलुरु	84	78	117	279
कोलकाता	11	7	22	40
	530	365	845	1,740

कार्य योजना

- क) सभी एस.वी.बी. केंद्रीय रजिस्ट्री डेटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन करेंगे।
- ख) संबंधित एस.वी.बी. के प्रभारी मुख्य आयुक्त लंबिता (पेंडेंसी) स्थिति की नियमित रूप से निगरानी करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि छानबीन को अंतिम रूप देने के लिए परिपत्र 05/2016-सी.शु. में निर्धारित समय सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

- ग) संबंधित अधिकारी उक्त परिपत्र में वर्णित अनुदेशों का अनुसरण करें, जहाँ कहीं भी छानबीन को पूरा करने के लिए समय को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा भी मामला हो, आयुक्त या मुख्य आयुक्त के उपयुक्त अनुमोदन के बिना छानबीन के किसी मामले में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। समय विस्तार की अनुमति देने वाले अधिकारी को उस पर यथोचित कर्मठता से विचार करना चाहिए।
- घ) महानिदेशक (मूल्यांकन) मासिक आधार पर चयनात्मक रूप से प्रत्येक एस.वी.बी. की छानबीन रिपोर्ट की जाँच करेंगे और सुधार के लिए सुझावों के साथ-साथ छानबीन की गुणवत्ता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे।
- ङ) 1 वर्ष से अधिक लंबिता (पेंडेंसी) वाले मामलों को सभी 05 एस.वी.बी. दिनांक 31.12.2020 तक शून्य करेंगे।

कार्यवाहकता: संबंधित मुख्य आयुक्त और महानिदेशक (मूल्यांकन)

ख9. अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों (आई.सी.टी.) पर स्वचालित निकासी:

ई.सी.सी.एस. दिनांक 29.06.2020 को ई.आई.सी.आई. आंकड़ा केंद्र से स्थानांतरित होकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड आंकड़ा केंद्र पर आ गया है। तथापि दिनांक 15.07.2020 तक ई.सी.सी.एस. मुंबई, दिल्ली एवं बंगलुरु विमानपत्तनों को छोड़कर अन्य सभी अधिसूचित विमानपत्तनों पर (अधिसूचना संख्या 27/2018-सी.शु.(एन.टी.)) कार्य नहीं कर रहा है।

2. सभी अधिसूचित स्थानों पर कूरियर निकासी को स्वचालित करने के लिए, अन्य संबंधित कार्यालयों अर्थात् चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, कोयंबटूर, कालीकट और तिरुचिरापल्ली को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके अभिरक्षक एम.पी.एल.एस. संपर्क, आई.टी. ढांचे (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सहभागी संपर्क दस्तावेज़ के अनुसार), एल.ए.एन. संपर्क और ई.सी.सी.एस. अनुप्रयोग से जुड़ी ढांचागत आवश्यकताओं (बार कोड स्कैनर, एक्स रे स्कैनर) के साथ तैयार हैं।

कार्य योजना

दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक सभी अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों (आई.सी.टी.) पर स्वचालित निकासी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

कार्यवाहकता: संबंधित मुख्य आयुक्त और महानिदेशक (प्रणाली)

ख10. गोदाम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/डेबिट के लिए बॉन्ड मॉड्यूल का कार्यान्वयन:

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 59 के अनुसार ऐसे किसी माल जिसके भांडागारण के लिए आयात-पत्र फाइल किया गया है, के आयातक को ऐसे माल पर निर्धारित किए गए शुल्क की राशि के तिगुने राशि के बराबर बॉन्ड को निष्पादित करने की आवश्यकता है (इसके आगे इसका गोदाम बॉन्ड (वेयर हाऊस बॉन्ड) के रूप में उल्लेख किया जाएगा)। इस तरह के गोदाम बॉन्ड तब तक मान्य रहते हैं जब तक कि गोदाम में रखे गए माल को घरेलू खपत के लिए या गोदाम से निर्यात के लिए स्वीकृति नहीं मिल जाती और इसके अंतर्गत आयात के सीमा शुल्क स्टेशन से गोदाम तक या एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक माल की आवाजाही भी आती है। जहाँ अन्य व्यक्ति को इस तरह का पूर्ण या उसका एक भाग स्थानांतरित किया गया है, वहां उक्त धारा के अनुसार, स्थानांतरित को स्थानांतरित माल के लिए एक गोदाम बॉन्ड को कार्यान्वित करने की आवश्यकता होती है।

2. ऐसे गोदाम बॉन्ड किसी एक परेषण या बहुत से परेषणों (सामान्य बॉन्ड) के लिए हो सकते हैं। गोदाम बॉन्ड का प्रारूप दिनांक 14.05.2016 के परिपत्र सं. 18/2016-सी.शु. के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। वर्तमान में

गोदाम बॉन्ड आयात पत्तन पर हस्तकृत रूप (मैन्युअली) से कार्यान्वित एवं जमा किए जाते हैं। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(i) उस माल जिसके संबंध में भांडागार के लिए आयात-पत्र (बी.ई.) फ़ाइल किए गया है, का मालिक आयात पत्तन पर गोदाम बॉन्ड (सामान्यतः बहु आयात-सामान्य बॉन्ड) को निष्पादित करता है।

(ii) आयात पत्तन पर अधिकारी, अपेक्षित राशि के लिए बॉन्ड को डेबिट करता है और जब माल कि घरेलू खपत या निर्यात की स्वीकृति मिल जाती है, तो उसे क्रेडिट करता है।

(iii) किसी मामले में यदि ऐसे माल का पूर्ण या उसका कोई भाग किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है तो स्थानांतरित माल के लिए स्थानांतरित एक गोदाम बॉन्ड निष्पादित करता है और स्थानांतरणकर्ता के गोदाम बॉन्ड में उस सीमा तक जमा हो जाते हैं।

3. हस्तकृत गोदाम बॉन्ड की वर्तमान प्रणाली के समक्ष आने वाली समस्याएं:

(i) प्रायः आयातक कई स्थानों से आयात करते हैं और चूंकि गोदाम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनिक डेबिट और क्रेडिट के लिए कोई मांड्यूल नहीं है, इसलिए आयातकों को कई सीमा शुल्क गृहों में बॉन्ड को बनाए रखना और उनका निष्पादन करना पड़ता है।

(ii) अक्सर आयात पत्तन गोदाम जहाँ माल जमा किया जाता है, उससे सुविधाजनक स्थान पर स्थित नहीं होते, जिससे अनुपूरक बॉन्ड के निष्पादन के साथ उनके डेबिट और क्रेडिट का प्रबंधन श्रमसाध्य हो जाता है।

(iii) गोदाम में विनिर्माण एवं अन्य संचालन (सं. 2) नियमावली, 2019 (इसके बाद एम.ओ.ओ.डबल्यू.आर., 2019 के रूप में संदर्भित) के नियम 4 के अनुसार आवेदक धारा 65 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में बॉन्ड को निष्पादित करने का वचन देगा। यह गोदाम में रखे माल के लिए धारा 59 के अंतर्गत गोदाम बॉन्ड को निष्पादित किए जाने के अतिरिक्त है। व्यापार की सुविधा के लिए बोर्ड ने अपने परिपत्र 34/2019-सी.शु. के माध्यम से एक बॉन्ड निर्धारित किया है जो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 59 और एम.ओ.ओ.डबल्यू.आर., 2019 दोनों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। तथापि चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेबिट और क्रेडिट संभव नहीं है, तो धारा 65 के अंतर्गत कार्य कर रही इकाइयों को दो बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता है, एक आयात पत्तन पर और दूसरा क्षेत्राधिकारी आयुक्त के पास, जहाँ इकाई स्थित है। यदि इलेक्ट्रॉनिक डेबिट/क्रेडिट संभव है, तो परिपत्र 34/2019-सी.शु. के अंतर्गत समेकित बॉन्ड पर्याप्त होगा क्योंकि बॉन्ड की शब्दावली धारा 65 के साथ-साथ धारा 59 की अपेक्षाओं को भी पूरा करती है।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया कि यदि गोदाम बॉन्ड को अपनी इच्छा के स्थान पर निष्पादित करने की अनुमति के साथ किसी भी सीमा शुल्क स्थान पर आयात हेतु इलेक्ट्रॉनिक डेबिटिंग/क्रेडिटिंग की सुविधा मिल, तो इससे व्यापार को बहुत मदद मिलेगी। यह सीमा शुल्क द्वारा कई स्थानों पर काम के दोहराव को कम करेगा और विभाग की निगरानी क्षमता में काफी सुधार करेगा। इसके अलावा, चूंकि सीमा शुल्क बॉन्ड को भारत के राष्ट्रपति के नाम से निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे बॉन्ड के पैन इंडिया कार्यान्वयन में कोई विधिक कमी नहीं है।

कार्य योजना

गोदाम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/डेबिट को सक्षम बनाने के लिए एक गोदाम बॉन्ड मांड्यूल को विकसित एवं कार्यान्वित करना।

कार्रवाईकर्ता: महानिदेशक (प्रणाली) और आयुक्त (सीमा शुल्क और निर्यात संवर्धन)

ख.11 अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय

अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय भारतीय प्राधिकृत आर्थिक संचालक (ए.ई.ओ.) कार्यक्रम और ए.ई.ओ. आपसी मान्यता करार (ए.आर.ए.) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। सुविधा के बढ़ते स्तरों में यहां चार स्तर हैं अर्थात् आयातकों/निर्यातकों के लिए टी-1, टी-2, टी-3 और रसद संचालक (एल.ओ.) के लिए अलग श्रेणी हैं। विगत तीन वर्षों में प्रमाणित संस्थाओं की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	प्राधिकृत आर्थिक संचालक (ए.ई.ओ.) के अधीन प्रमाणित संस्थाओं की सं.				
	टी-1	टी-2	टी-3	रसद संचालक (एल.ओ.)	कुल
2017-18	409	145	1	201	756
2018-19	2295	358	2	573	3228
2019-20	2948	517	11	766	4242

कार्य योजना:

1. दिनांक 10.07.2020 तक कुल 4320 अधिकृत आर्थिक संचालक (ए.ई.ओ.) हैं। ए.ई.ओ. की संख्या बढ़ाकर 4750 करने का प्रयास रहेगा।
- 2(i) संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) के संयुक्त कार्य योजना (जे.डब्ल्यू.पी.) और युगांडा और यू.ए.ई के साथ संयुक्त कार्रवाई योजना (जे.ए.पी.) पहले ही हस्ताक्षरित हैं; आपसी मान्यता करार (एम.आर.ए.) को अंतिम रूप देने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- 2(ii) इसी प्रकार, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पूर्वी अफ्रीकी समुदाय, जापान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और तुर्की के साथ विचाराधीन जे.ए.पी. को अंतिम रूप दिया जाएगा।

भाग-ग

माल और सेवा कर (जी.एस.टी.)

कार्य योजना 2020-21

केंद्रीय कर अधिकारियों की प्राथमिक भूमिका माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) कर नियमों के अनुपालन और करदाताओं की सुविधा के साथ अधिकतम कर संग्रह को सुनिश्चित करना है। माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) एक नई व्यवस्था है जहां प्रशासनिक उद्देश्य से संपूर्ण कराधार को राज्य कर अधिकारियों और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) के बीच बांटा गया है। परिणामस्वरूप विभिन्न मापदंडों पर राज्य और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) के निष्पादन की तुलना अवश्यंभावी है। तदनुसार, हमारे अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने पास उपलब्ध अल्प संसाधनों का सबसे प्रभावी और कुशल प्रयोग कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) की वार्षिक कार्य योजना में न केवल उनके समक्ष आने वाली आवश्यक अल्पकालिक समस्याओं को दूर करने के उपाय होने चाहिए बल्कि एक कुशल अप्रत्यक्ष कर प्रशासन के लिए इसके कार्यात्मक ढांचे को मजबूत करने वाले उपायों भी सुझाने चाहिए। तदनुसार, कार्य योजना (ए.पी.) 2020-21 निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों और रणनीतियों पर केंद्रित है:

क राजस्व संग्रहण के उपाय

ख अनुपालन सत्यापन

ग व्यापार करने की सुगमता (ई.ओ.डी.बी.) को बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली कार्रवाई

क राजस्व संग्रहण के उपाय

क.1 समय से जीएसटीआर-3बी रिटर्न फ़ाइल करना

करदाताओं द्वारा समय पर रिटर्न फ़ाइल करना सरकार के लिए राजस्व की कुंजी है। वर्ष 2019-20 के लिए, जीएसटीआर-3बी रिटर्न का औसत % अखिल भारतीय आधार पर 76.62% है। उसकी तुलना में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) द्वारा प्रशासित करदाताओं द्वारा फ़ाइल किया जीएसटीआर-3बी रिटर्न का प्रतिशत 73.57% है।

तदनुसार, इस प्रमुख क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्य योजना इस प्रकार होगी:

- (i) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) द्वारा प्रशासित करदाताओं द्वारा देय महीने के अंत तक जीएसटीआर-3बी फ़ाइल करने का प्रतिशत सितंबर, 2020 तक 85% और नवंबर, 2020 तक 90% होना चाहिए।
- (ii) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) द्वारा राजस्व में 80% योगदान देने वाले उन करदाताओं द्वारा फ़ाइल किए गए जीएसटीआर-3B का प्रतिशत सितंबर, 2020 तक 95% और नवंबर, 2020 तक 100% होना चाहिए। करदाताओं को फाइलिंग चक्र से कुछ दिन पहले ही उनका रिटर्न फ़ाइल करने के लिए सचेत और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

क.2 समय से जीएसटीआर-1 का विवरण (स्टेटमेंट) फ़ाइल करना

जावक आपूर्तियों का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 अर्थात देयताओं की घोषणा, में ससमय देना जीएसटीआर-3बी के माध्यम से कर देयताओं के सही व ससमय निर्वहन की ओर उठाया गया पहला कदम है। जीएसटीआर-1 को सही और समय पर फ़ाइल करने का जीएसटीआर-3B के अनुपालन के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह देखा गया है कि जिन ज़ोनों में जीएसटीआर-1 की फाइलिंग कम है, वहाँ जीएसटीआर-3B की फाइलिंग भी कम है। वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर-1 के विवरण का अखिल भारतीय औसत 64.94% है। उसकी तुलना में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) द्वारा प्रशासित करदाताओं के लिए फ़ाइल किया गया जीएसटीआर-1 62.22% है।

तदनुसार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना इस प्रकार होगी:

- (i) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) द्वारा प्रशासित करदाताओं द्वारा नियत महीने के अंत तक जीएसटीआर-1 फ़ाइल करने का प्रतिशत सितंबर, 2020 तक 85% और नवंबर, 2020 तक 90% होना चाहिए।
- (ii) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) द्वारा प्रशासित राजस्व में 80% योगदान देने वाले उन करदाताओं द्वारा फ़ाइल किए गए जीएसटीआर-3B का प्रतिशत सितंबर, 2020 तक 95% और नवंबर, 2020 तक 100% होना चाहिए। करदाताओं को फाइलिंग चक्र से कुछ दिन पहले ही उनका रिटर्न फ़ाइल करने के लिए सचेत और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

क.3 समय से छानबीन को पूरा करना

चूंकि छानबीन किए जा रहे मामलों में राजस्व की एक बड़ी राशि अटकी हुई है, इसलिए समयबद्ध तरीके से छानबीन को पूरा करना आवश्यक है ताकि शुल्क/कर (या तो नहीं चुकाए गए या कम चुकाए गए) की उगाही और जुर्माना लगाने के लिए उचित उपायों को शुरू किया जा सके। यह कर-वंचकों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा।

तदनुसार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना इस प्रकार होगी:

- (i) दिनांक 31.03.2020 तक सभी मामलों की छानबीन को अंतिम रूप देना, ताकि दिनांक 01.04.2020 तक, एक वर्ष से अधिक की श्रेणी में कोई मामला नहीं हो।
- (ii) ऐसे मामले जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 के अंतर्गत संपत्ति, बैंक खातों सहित कुर्क की गई है, दिनांक 31.03.2021 तक कुर्की के ऐसे मामलों के 6 महीने से अधिक समय तक छानबीन लंबित नहीं रहेगा।

क.4 न्यायनिर्णयन

न्यायनिर्णयन, प्रवर्तन या लेखा परीक्षा कार्रवाई के परिणाम स्वरूप जारी किए गए कारण बताओ नोटिस की कानूनी वैधता की पहली परीक्षा है। आदर्शतः, आदेशों की संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता मायने रखती है। तथापि, यह भी सत्य है कि विवाद समाधान का पहला चरण होने के नाते, आमतौर पर कर-निर्धारिती (नोटिस प्राप्तकर्ता) अपेक्षा करते हैं कि न्यायनिर्णयन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसके विपरीत, कुछ कर-निर्धारिती अपने निहित स्वार्थ के कारण न्यायनिर्णयन कार्यवाही में विलंब चाहते हैं ताकि वे उस अपवंचित राशि को अपने व्यापारिक हितों में वृद्धि के लिए तब तक उपयोग कर सकें, जब तक वे सकें। इसलिए, जबकि योग्यता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है, तथापि लंबित मामलों को प्राथमिकता देने और निपटाने की आवश्यकता है। दिनांक 15.06.2020 तक न्यायनिर्णयन के लिए माल और सेवा कर मामलों की लंबिता निम्नानुसार है:

क्र.सं.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी	अंतिम शेष		लंबिता का अवधिवार ब्यौरा (सं.)			
		सं.	राशि	< 3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	1 वर्ष से अधिक
1	अपर/संयुक्त आयुक्त	562	2809.78	121	114	279	48
2	उप/सहायक आयुक्त	4503	1246.35	736	2393	1246	145
3	अधीक्षक	780	27.84	239	287	90	163
	कुल	5845	4083.9723	1096	2794	1615	356

तदनुसार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना इस प्रकार होगी:

- (i) वे सभी मामले जिनमें 1 करोड़ से अधिक की कर राशि अंतर्ग्रस्त है या जिन मामलों में डी.जी.जी.आई. द्वारा नोटिस जारी किया गया है, वे सभी मामले कारण बताओ नोटिस (एस.सी.एन.) जारी किए जाने के 6 महीने के भीतर निपटा दिए जाने चाहिए और दिनांक 31.03.2021 तक इस श्रेणी में कोई भी मामला 6 महीने से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए।
- (ii) नोटिस के 3 महीने के अंदर अन्य सभी मामले निपटा दिए जाने चाहिए और दिनांक 31.03.2021 तक इस श्रेणी में कोई भी मामला 3 महीने से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए।
- (iii) ऐसे मामले जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 के अंतर्गत संपत्ति, बैंक खातों सहित कुर्क की गई है, उनमें दिनांक 31.03.2021 तक कारण बताओ नोटिस जारी होने के 3 महीने से अधिक समय तक न्यायनिर्णयन लंबित नहीं होना चाहिए।

क.5 आयुक्त (अपील) और अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (अपील) के पास लंबित अपीलें:

आयुक्त (अपील) और अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील, समुचित अधिकारी के द्वारा पारित मूल आदेश से व्यथित व्यक्ति के लिए उपचार का पहला स्तर है। दिनांक 18.03.2020 के परिपत्र सं.132/02/2020-जीएसटी के द्वारा बोर्ड ने सभी अपीलीय प्राधिकारियों को अपीलीय अधिकरण के गठन की प्रतीक्षा किए बिना सभी लंबित अपीलों को शीघ्रता से निपटाने की सलाह दी है। दिनांक 15.06.2020 तक अपील के पहले स्तर के समक्ष माल और सेवा कर अपीलों की लंबिता निम्नानुसार है:

दिनांक 15.06.2020 तक माल और सेवा कर अपील की लंबिता

	विभागीय अपील	पार्टी की अपील	कुल (विभागीय+पार्टी की)
--	--------------	----------------	-------------------------

					अपील	
	अपीलों की सं.	अंतर्गस्त राशि (करोड़ में)	अपीलों की सं.	अंतर्गस्त राशि (करोड़ में)	अपीलों की सं.	अंतर्गस्त राशि (करोड़ में)
आयुक्त (अ.)	214	572.13	1791	4864.97	2005	5437.10
अपर/संयुक्त आयुक्त (अ.)	364	379.36	1922	5938.19	2286	6292.87
कुल	578	951.49	3713	10803.16	4291	11729.97

तदनुसार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना इस प्रकार होगी:

- दिनांक 15.06.2020 तक 6 महीने से अधिक के लंबित अपील के सभी मामले दिनांक 31.12.2020 तक निपटा दिए जाने चाहिए।
- दिनांक 15.06.2020 तक 6 महीने के भीतर सभी अन्य लंबित मामले दिनांक 31.03.2020 तक निपटा दिए चाहिए।
- प्रयास किए जाने चाहिए कि अपीलीय स्तर पर 6 महीने से अधिक अवधि तक कोई मामला लंबित न रहे।

ख. अनुपालन सत्यापन

ख.1 करदाताओं के बेमेल रिटर्न की विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय की रिपोर्ट

महानिदेशक, विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन ने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सत्यापन के लिए विभिन्न रिपोर्ट तैयार की हैं। ये रिपोर्ट वैधानिक रिटर्न की बेमेल रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई हैं और राजस्व संवर्धन की क्षमता भी रखती है।

तदनुसार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना इस प्रकार होगी:

- 50 लाख रुपए से अधिक की बेमेल/विसंगति रिपोर्ट की गई राशि से जुड़े सभी मामलों को तीन महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए और दिनांक 31.12.2020 तक इस श्रेणी में 3 महीने से अधिक समय तक कोई सत्यापन लंबित नहीं होना चाहिए और उसके बाद उसी स्थिति को बनाए रखा जाए।
- बेमेल/ रिपोर्ट किए गए विसंगति के अन्य सभी मामले 6 महीने के भीतर निपटाए जाने चाहिए और दिनांक 31.03.2021 तक इस श्रेणी में 6 महीने से अधिक अवधि का कोई मामला लंबित नहीं रहाना चाहिए।

ख.2 रिटर्न फ़ाइल न करने वालों पर कार्रवाई

केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) अधिनियम की धारा 46 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर नियमावली के नियम 68 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने में असफल रहा है (बाद में "चूककर्ता" के रूप में संदर्भित), को फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है, जिसके अनुसार उसे 15 दिनों के भीतर यह रिटर्न प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, धारा 62 रिटर्न फ़ाइल न करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के निर्धारण के बारे में है, जो कि धारा 46 के अंतर्गत नोटिस देने के बावजूद भी धारा 39 और धारा 45 के अंतर्गत रिटर्न भरने में असफल रहते हैं। बोर्ड ने दिनांक 24.12.2019 के परिपत्र सं. 129/48/2019-जीएसटी के तहत एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) भी जारी की है। नोटिस जारी होने के 15 दिनों के बाद रिटर्न फ़ाइल न होने पर समुचित अधिकारी को कर निर्धारण शुरू करने की आवश्यकता होती है।

तदनुसार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना होगी:

- (i) ऐसे सभी मामले जहाँ फॉर्म जीएसटीआर-3ए जारी किया गया है और पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा रिटर्न फ़ाइल नहीं किया गया, तो 15 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद 3 महीने के भीतर निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए।

ख.3 पंजीकरण के स्वप्रेरित रद्दकरण की कार्रवाई

सभी समुचित अधिकारियों को उन मामलों में पंजीकरण रद्द करने के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के तहत कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है, जिनमें धारा 29 में निर्दिष्ट अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 01.05.2020 तक 1,76,851 माल और सेवा कर पहचान संख्या (जी.एस.टी.आई.एन.) हैं जिन्होंने लगातार 6 या इससे अधिक कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है और उनके पंजीकरण अभी भी सक्रिय हैं, अर्थात् वे न तो निलंबन के अधीन हैं और न ही रद्दकरण के।

तदनुसार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना इस प्रकार होगी:

- (i) ऐसे सभी मामले जहाँ केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) अधिनियम की धारा 29 में निर्दिष्ट अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है, उक्त प्रावधान में निर्दिष्ट अवधि के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाए।

ख.4 जोखिम वाले निर्यातकों का सत्यापन

विभिन्न जोखिम मापदंडों के आधार पर डी.जी., ए.आर.एम. द्वारा पहचान किए गए जोखिम वाले निर्यातकों के सत्यापन के लिए बोर्ड ने समय-समय पर मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सत्यापन पूरा करने में देरी के परिणामस्वरूप मांग का नोटिस जारी करने या खरे निर्यातक के मामले में लंबित आई.जी.एस.टी. धनवापसी (रिफंड) की मंजूरी के लिए आवश्यक कार्रवाई में विलंब होता है। दिनांक 01.05.2020 तक 60 से अधिक दिन वाले 5000 से अधिक सत्यापन लंबित हैं।

तदनुसार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना इस प्रकार होगी:

- (i) दिनांक 01.05.2020 तक लंबित सभी सत्यापनों को दिनांक 30.09.2020 तक पूरा कर लिया जाएगा।
- (ii) इसके बाद, जोखिम वाले निर्यातकों या उनके आपूर्तिकर्ताओं (एल1/एल2 स्तर) का कोई सत्यापन सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद तक लंबित नहीं रखा जाएगा।

ख.5 मानित पंजीकरणों और भौतिक सत्यापनों की संख्या

बोर्ड ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया है कि केंद्रीय क्षेत्राधिकार के मामलों में सभी ज़ोन में मानित पंजीकरणों का प्रतिशत राज्य के क्षेत्राधिकार में मानित पंजीकरण के प्रतिशत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। इसके अलावा, केंद्रीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए भौतिक सत्यापनों भी कम हैं।

तदनुसार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना इस प्रकार होगी:

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी कि दिनांक 30.09.2020 तक 25% से अधिक आवेदन मानित अनुमोदन के लिए न जाएं।
- (ii) इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य योजना लागू की जानी चाहिए कि दिनांक 31.03.2021 तक 15% से अधिक आवेदन मानित अनुमोदन के लिए न जाएं।
- (iii) प्रति माह नए अनुमोदन के कम से कम 10% में भौतिक सत्यापन किए जाने चाहिए, जो मार्च 2021 तक बढ़ कर प्रति माह 25% सत्यापन तक हो जाएगा।

ग. व्यापार करने की सुगमता (ई.ओ.डी.बी.)

ग.1. धनवापसी (रिफंड) की समय पर मंजूरी

धनवापसी (रिफंड) का जल्दी से संवितरण, जहाँ कहीं भी देय हो, व्यापार और उद्योग की प्रमुख मांग है क्योंकि यह उनकी नकदी स्थिति को सुधारता है। दिनांक 01.05.2020 तक धनवापसी के 721 आवेदन 60 दिनों से अधिक समय से निपटान के लिए लंबित हैं। बोर्ड के दिनांक 18.11.2019 के परिपत्र सं. 125/44/2019-जीएसटी के तहत सभी कर प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे ए.आर.एन. जारी करने की तारीख के 45 दिनों के भीतर **फॉर्म जीएसटी आरएफडी-06** में अंतिम मंजूरी आदेश और **फॉर्म जीएसटी आरएफडी-05** में भुगतान आदेश जारी करें, ताकि संवितरण 60 दिनों के भीतर पूरा हो और केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत धनवापसी पर कोई ब्याज देय न हो सके।

तदनुसार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना इस प्रकार होगी:

- (i) फॉर्म आरएफडी-01 में आवेदन फाइल करने के 15 दिनों के भीतर सभी आवेदनों की पावती दी जाएगी या कमी ज्ञापन जारी किया जाएगा।
- (ii) फॉर्म जीएसटी आरएफडी-06 में अंतिम मंजूरी आदेश और फॉर्म जीएसटी आरएफडी-05 में भुगतान आदेश 45 दिनों के भीतर जारी किया जाना जाएगा।
- (iii) 60 दिनों से अधिक कोई भी धनवापसी (रिफंड) आवेदन लंबित नहीं रखा जाएगा।

ग.2. सार्वजनिक पहुँच में रखे जाने वाले अद्यतित अधिनियम/नियम/अधिसूचनाएँ

परिषद की सिफारिशों पर आधारित, केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) अधिनियम और नियम आवधिक रूप से संशोधित होते रहते हैं। इसी तरह, समय-समय पर रिटर्न के देय तारीख को बढ़ाने, माल और सेवा कर की दर में परिवर्तन, विभिन्न छूटें आदि जारी करने संबंधी विभिन्न अधिसूचनाएँ और मामलों की विधिक स्थिति स्पष्ट करने के विभिन्न परिपत्र और अनुदेश भी जारी किए जाते हैं। तथापि, वर्तमान में परिपत्रों/अनुदेशों का कोई विषय-वार वर्गीकरण/ सूचीकरण मौजूद नहीं है जिसके कारण किसी विशेष मुद्दे पर वर्तमान अनुदेशों का जानना कठिन है। अद्यतित अधिनियम भी सार्वजनिक पहुँच में नहीं है। ऐसा सूचीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विभागीय अधिकारियों सहित कर निर्धारितियों और अन्य हितधारकों को सही नीति की जानकारी हो सके। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया है कि किसी विषय पर अनुदेश अक्सर बिखरे रहते हैं और किसी विशेष विषय के बारे में मौजूदा नीति और प्रक्रियाओं को जानना और समझना विभागीय अधिकारियों सहित हितधारकों के लिए कठिन हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, विशिष्ट परिपत्रों को प्रतिस्थापित करते हुए और यदि उनमें विद्यमान कोई अंतर हों तो उन्हें दूर करते हुए, व्यापक मास्टर परिपत्रों को वर्ष के अंत में जारी करने की आवश्यकता है, जिसमें उस समय तक जारी किए गए सभी परिपत्रों को शामिल किया जाए। इसके लिए परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तदनुसार, ऐसे मुद्दों पर परिषद के समक्ष कार्यसूची नोट रखने का प्रयास होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, जबकि समय-समय पर जारी वैयक्तिक अधिसूचनाओं तक पहुँचना संभव है, तथापि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) की वेबसाइट यथासंशोधित (अर्थात् एक विशेष तारीख पर लागू होने वाले संशोधनों को शामिल करते हुए) किसी अधिसूचना तक पहुँच प्रदान नहीं करती है।

तदनुसार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना इस प्रकार होगी:

- (i) दिनांक 31.12.2020 तक के सभी परिपत्रों/अनुदेशों का पुनर्विलोकन करना और जहाँ कहीं भी संभव हो वहाँ मुद्दे वार मास्टर परिपत्र जारी करना।
- (ii) दिनांक 30.09.2020 तक केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)/एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) अधिनियम, यथासंशोधित, को वेबसाइट पर रखा जाए।

- (iii) अद्यतित केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) नियम/एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) नियमों को प्रत्येक माह वेबसाइट पर रखा जाएगा।
- (iv) दिनांक 31.12.2020 तक अद्यतित अधिसूचनाएँ, यथासंशोधित, को वेबसाइट पर रखा जाए।

कार्रवाईकर्ता: प्रधान आयुक्त (माल और सेवा कर, नीति स्कंध)/प्रधान महानिदेशक, प्रणाली

ग.3 रद्द करने का अनुरोध:

माल और सेवा कर व्यवस्था में पंजीकरण को रद्द करने के लिए करदाता और कर अधिकारी के द्वारा भी अनुरोध की पहल की जा सकती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि करदाता के पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन के समय से, 30 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक विलंब से असंतोष उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, सिस्टम डिज़ाइन ऐसा है कि कर अधिकारी के पास 30 दिनों के बाद आवेदन स्वीकार करने या इसे लंबित रखने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता। सामान्य पोर्टल पर ऐसे आवेदन बड़ी संख्या में अभी तक लंबित हैं। तदनुसार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य इस प्रकार योजना होगी:

- (i) 31.12.2020 तक सभी लंबित आवेदनों का निपटान कर दिया जाएगा।
- (ii) 31.03.2021 तक कोई आवेदन आवेदन 30 दिनों की समय-अवधि से अधिक समय तक लंबित नहीं रहेगा।

ग.4 माल और सेवा कर – आउटरीचटरीच कार्यक्रम

उद्योग और वाणिज्य, कर व्यवसायों सहित विभिन्न हितधारकों के मध्य माल और सेवा कर के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए, प्रत्येक ज़ोन को क्षेत्राधिकार-वार वेबिनार अथवा विडियो क़ॉन्फ़्रेंसिंग के द्वारा कम से कम दो आउटरीचटरीच कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

कार्रवाईकर्ता: महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी, जीएसटी के सभी ज़ोनल मुख्य आयुक्त/प्रधान मुख्य आयुक्त.

ग.5 स्थानीय भाषा का प्रयोग

कर दाता/ जन सामान्य तक बेहतर रूप से पहुंचने के लिए सभी संदेश/अनुक्रियाएं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अंग्रेजी व हिंदी के अलावा स्थानीय भाषा में भी जारी किए जाने चाहिए। एक सुविज्ञ करदाता के ज्यादा कर अनुपालक होने की संभावना अधिक होती है।

भागघ-

मानव संसाधन विकास एवं प्रशासन हेतु कार्य योजना

क.1 मॉड्यूल के प्रारंभ पर नोट-अर्धवार्षिक विवरणिका रिपोर्टों हेतु ई

वर्तमान में, नीति प्रकोष्ठ, मानव संसाधन प्रबंधन-II, मानव संसाधन विकास महानिदेशालय के द्वारा संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों और महानिदेशालयों/आदि से प्राप्त रिपोर्टों के आधार सीबीआईसी के अधीन निदेशालयों/कार्यरत विभिन्न संवर्गों की स्वीकृत कार्मिक संख्या, कार्यरत कार्मिकों की संख्या एवं रिक्त पदों के बारे में एक अर्धवार्षिक विवरणिका संकलित की जाती है। यह समय लगने वाला, बोज़िल व त्रुटि की संभावना वाली प्रक्रिया है क्योंकि डेटा को एकरूप करने के विभिन्न स्तरों पर उसकी प्रतिकृति बनानी पड़ती है और उसे हस्तकृत रूप से संकलित करना होता है।

अंतःसंवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों और महानिदेशालयों/निदेशालयों और उनके अधीन विभिन्न कार्यालयों द्वारा :एक निश्चित तारीख जैसे वर्ष की जनवरी को अथवा 1 जुलाई को विभिन्न संवर्गों की स्वीकृत कार्मिक संख्या 1, कार्यरत कार्मिकों की संख्या एवं रिक्त पदों को रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल प्रस्तावित है। यह ऑनलाइन मॉड्यूल रिपोर्टों के पारंपरिक संकलन और उनके एकरूप करने की प्रक्रिया का स्थान लेगा और इससे लगने वाले समय और प्रयासों में कमी आएगी और संबद्ध डेटा के प्रोसेसिंग में और अधिक परिशुद्धता आएगी।

अर्धवार्षिक विवरणिका हेतु इस ईमॉड्यूल- का प्रचालन सितंबर, 2020 से हो सकता है।

कार्रवाईमहानिदेशक :, मानव संसाधन विकास ज़ोनल मुख्य आयुक्त/

क.2 “ईएक सुदृढ -का विकास व उसको आरंभ करना ”प्रतिनियुक्ति-, व्यापक, शुरु से लेकर अंत तक एकल खिड़की, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के समूह अधिकारियों हेतु ऑनलाइन “क” मॉड्यूल और प्रतिनियुक्ति हेतु संवर्ग अनापत्ति हेतु मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए समयावधि निर्धारित करना जिसका अनुवर्तन सभी हितधारकों द्वारा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा –

औचित्य

प्रतिनियुक्ति भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न पदों/पोजीशनों पर भर्ती का-एक तरीका है। प्रतिनियुक्ति की योजना अधिकारियों से कार्य के अन्य क्षेत्रों का परिचय कराता है और क्रॉसलर्निंग और ज्ञान के -हस्तांतरण को सुगम बनाता है। सीखने अथवा नया कौशल अर्जित करने के साथ, प्रतिनियुक्ति उन अवसरों को भी प्रदान करता है जहां अधिकारी के उप सचिवनिदेशक/संयुक्त सचिव आदि के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर / काम किए होने की अपेक्षा होती है।

वर्तमान में, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के समूह अधिकारी अपने आवेदन “क” हस्तकृत/हस्तकृत/हार्ड कॉपी तरीके उचित माध्यम से भेजते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में मानव संसाधन विकास महानिदेशालय और एडी. V/सतर्कता महानिदेशालय से डेटा व सूचनाएं मांगा जाना भी शामिल होता है इसलिए यह प्रक्रिया न सिर्फ थका देने वाली व समय लेने वाली होती है बल्कि कुछ मामलों में कार्य का दोहराव भी होता है। इससे प्रायः संवर्ग अनापत्ति की प्रोसेसिंग में विलंब होता है। :

उद्देश्य :

प्रतिनियुक्ति आवेदनों की पारदर्शी, यथासमय और निर्बाध प्रोसेसिंग।

यह ईप्रतिनियुक्ति का मॉड्यूल 31 अगस्त-, 2020 तक कार्य करना आरंभ कर सकता है।

प्रशासन

क3. अनुसचिवीय संवर्ग की दक्षता संवर्धन और क्षमता निर्माण

वर्तमान स्थिति

अनुसचिवीय संवर्ग जिसमें कर सहायक व कार्यकारी सहायक शामिल हैं, रिकॉर्ड्स रजिस्ट्रारों के समुचित रखरखाव/, उनके नियमित अद्यतीकरण, उनके भंडारण, उनकी वस्तुसूची सहित उनको पुनर्प्राप्त करने में के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संवर्ग व्यापार, अन्य फील्ड कार्यालयों, बोर्ड अथवा अन्य सरकारी विभागों से प्राप्त पत्राचार को रिकॉर्ड में दर्ज करने और उनको ससमय निपटान हेतु प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी है। अन्य संवर्गों की तुलना में एक कार्यालय में लंबा कार्यकाल होने के कारण, यह संवर्ग महत्वपूर्ण संस्थागत स्मृति और निरंतरता प्रदान करता है। फील्ड कार्यालयों की दक्षता के साथ हितधारकों की नजरों में इसकी छवि सीधे तौर पर रिकॉर्ड्स के रखरखाव की स्थिति पर निर्भर करती है चाहे वे बॉन्ड्स, बैंक गारंटियों, निर्धारण, धन वापसीवापसी, न्याय निर्णयन, अपीलों, विधि मामलों, बकायों, निपटान अथवा नेमी प्रकार की अनुमतियों और अनुमोदनों से

संबंधित हों। इससे वह तत्परता भी निर्धारित होती है जिसके साथ रिकॉर्ड्स और पत्राचार की पुनः प्राप्ति हो सकती है और मामले अथवा शिकायतों के निपटान की गति अथवा समयोचितता प्रभावित होती है।

2020-योजना-की कार्य 21

(i) 30.09. तक अनुसचिवीय संवर्ग के कर्तव्य व जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। 2020

(ii) 30.09. तक दो सप्ताह का एक अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना जिसमें कार्यालय प्रक्रिया 2020 मैनुअल, वित्तीय नियम, सचिवीय काय, सीमा शुल्ककीपिंग-जीएसटी के फील्ड कार्यालयों में अपेक्षित रिकॉर्ड/, कम्प्यूटर कौशल और सीमा शुल्क विधि और कार्यविधि की आधारभूत समझ शामिल होंगी।

(iii) वित्तीय वर्ष 2020- के अंत तक सभी सीमा शुल्क कार्यालयों में इन संवर्गों 21से संबंधित सभी अधिकारियों को चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना।

कार्रवाईमानव संसाधन विकास महानिदेशालय :, बोर्ड, नासिन, ज़ोनल मुख्य आयुक्त।

क.4विभिन्न दावों जैसे चिकित्सा बिल ., वर्दी भत्ता, यात्रा भत्ता बिल, छुट्टी नकदीकरण आदि के दावों को जमा करने और उस पर अपेक्षित कार्रवाई करने का डिजिटाइज करना कार्यालय पैकेज में शामिल -यदि ऊपर प्रस्तावित ई) (न हो तो

वर्तमान स्थिति

अधिकारियों व स्टाफ द्वारा सभी वित्तीय दावे जैसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल, यात्रा भत्ता बिल दैनिक भ/, वर्दी भत्ता बिल आदि कागजी रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसी प्रकार, अर्जित छुट्टी सहित छुट्टी के आवेदन हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया दावेदार के लिए कष्टकर होती है। प्रायः यह शिकायतें मिलती हैं कि जमा किया : है (और इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकी) या संलग्न दस्तावेज नहीं मिलने के कारण गया दावा खो गया आपत्ति/कमी रिपोर्ट की जाती है। हालांकि दावे के प्रस्तुतिकरण की तारीख और उनके निपटान की तारीख संबंधी आंकड़ों के रखरखाव के लिए रजिस्टर निर्धारित किया गया है, तब भी प्रायः शिकायतें मिलती रहती हैं कि यह शि : बिलों पर प्रथम आवक प्रथम जावक तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है।-

इन कठिनाइयों को देखते हुए और स्टाफ कल्याण के उपाय के रूप में यह नितांत आवश्यक है कि दावों के प्रस्तुतिकरण, उन पर कार्रवाई और उनके निपटारे के लिए डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जाए। इससे प्रशासनिक प्रधान इनकी प्राप्ति और लंबिता की निगरानी आसानी से करने में सक्षम हो सकेंगे। इससे इस हद तक पारदर्शिता आएगी कि दावेदार अपने दावे की स्थिति किसी भी समय पर स्वयं देख सकता है।

यह समझा जाता है कि कार्य के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए पहले से तैयार सॉफ्टवेयर समाधान उपलब्ध हैं और निजी क्षेत्रों सहित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पहले से ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं।

2020-योजना-की कार्य 21

(i) 30 सितंबर, 2020 तक सभी ज़ोन अधिकारियों और स्टाफ के वित्तीय दावों के प्रस्तुतिकरण, उस पर कार्रवाई और उनके निपटारे के स्वचालन हेतु उपयुक्त सॉफ्टवेयर प्राप्त करना।

(ii) दिसंबर 1 , 2020 तक इस मॉड्यूल के प्रचालन को आरंभ करना

कार्रवाई कर्ताजोनल मुख्य आयुक्त :

क.6 सेवा मामलों पर मुकदमों के संबंध में मॉड्यूल

बोर्ड ने फा .सं.23011/11/2020एड-ी-II से जारी अपने दिनांक 28.04.के पत्र द्वारा महानिदेशक 2020 प्रणाली) से सीबीआईसी की वेबसाइट पर दिनांक 01).01.तक लंबित सेवा संबंधी अभी चल रहे मुकदमों को 2020 तरीके-नुरोध किया है। डेटा को अपलोड किए जाने के तौरलाने के लिए एक समर्पित मॉड्यूल विकसित करने का अ और इस मॉड्यूल के कार्यचलन आरंभ होने की तारीख दर्शाने का भी अनुरोध किया गया है। इसे तेजी से पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है।

महानिदेशक, प्रणाली से यह सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा है कि मॉड्यूल दिनांक 31.08.तक कार्य करने 2020 लगे।

कार्रवाईकर्ताप्रधान मह :ानिदेशमहानिदेशक/, प्रणाली महानिदेशालय.

क.7 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ससमय आयोजित करना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.05.के कार्यालय ज्ञापन में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठके 2017 रने हेतु मॉडल कैलेंडर दिया गया है। इस कार्यालय ज्ञाआयोजित कपन के अनुसार किसी रिक्ति वर्ष कैलेंडर वर्ष) हेतु) पात्रता की निर्णायक तारीख अगले वर्ष की 1 जनवरी होगी और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा चयन पैनल की 31 दिसम्बर होगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण अनुमोदित चयन पैनल गठित करने के लिए अंतिम तारीख कैलेंडर वर्ष विभाग द्वारा जारी समयसीमा का सख्ती से पालन किए जाने की आवश्यकता है।